महिलाओं की मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न एवं देह–व्यापार सम्बन्धी अपराधों के निवारण में पुलिस की भूमिका
The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956

एस0एस0 उपाध्याय
अपर निदेशक(प्रशिक्षण)
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

भारतीय संस्कृति एवं चिन्तन परम्परा में महिलाओं का सदैव नितान्त सम्मानजनक स्थान रहा है। महिलाओं के प्रति समाज के असाधारण सम्मान के कारण ही उन्हें शक्तिस्वरूपा, जननी आदि संज्ञाओं से सम्बोधित और विभूषित किया गया है। विद्वान मनीषियों ने तो स्त्रियों के सम्बन्ध में यहॉ तक कहा है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' (अर्थात् जहॉ नारियों की पूजा होती है वहॉ स्वयं देवता लोग निवास करते हैं)। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नारियों के प्रति कथन किया है कि ''जिय बिनु देह, नदी बिनु वारी। तैसिय नाथ पुरूष बिनु नारी।। अर्थात् जैसे जल विहीन नदी निरर्थक है उसी प्रकार नारीविहीन पुरूष का जीवन व्यर्थ है। स्पष्ट है कि सृष्टि और समाज दोनों का अस्तित्व और संचालन नारी के बिना सम्भव नहीं है। इतिहास में नारी जगत में तमाम महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, वैदुष्य और पराक्रम का लोहा संसार को मनवाया है। वैदिक काल में अपाला, लोपा मुद्रा, गार्गी आदि महान विदुषी और सम्मानित महिलाओं को कौन नही जानता है। ज्ञान, विज्ञान, पौरूष और पराक्रम का कोई भी क्षेत्र पहले महिलाओं के लिए वर्जित नहीं था परन्तु समाज में रूढ़िवादी चिन्तन के प्रवेश के साथ ही धीरे–धीरे समाज का स्वरूप पुरूष प्रधान होता गया और लोक जीवन के तमाम क्षेत्रों से महिलाओं की उपस्थिति क्षीण होती चली गई जिसकी परिणति पुरूष प्रधान समाज के रूप में और महिलाओं के विविध प्रकार के शोषण के रूप में सामने आया।

उत्तरवैदिक काल तक महिलाओं के प्रति जो भारतीय समाज नितान्त श्रेष्ठ एवं सम्मानजनक सोच रखता था, उसी समाज का चिन्तन महिलाओं के प्रति कितना दुराग्रहपूर्ण, एकांगी और अनुचित हो गया, इसकी झलक मनुस्मृति एवं भर्तृहरि रचित शतकत्रयी की इन पंक्तियों से मिलती है.......

पिता रक्षति कौमार्ये, भर्तुर रक्षित यौवने ।
स्थवरे पुत्राः रक्षन्ति, न स्त्री स्वतन्त्रताम् अर्हति ।। (मनुस्मृति)
जात्यन्धाय च दुर्मुखाय च जराजीर्णाखिलांगाय च ।
ग्रामीणाय च दुष्कृताय च गलतकुष्ठाभिभूताय च ।।
यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुर्लक्ष्मीलवश्रधया ।
पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिका काशस्त्रीषु रज्येत कः ।। (श्रृंगारशतक)

(जो वेश्या थोड़े से धन के लोभ में अपना मनोहर शरीर जन्म से अन्धे, कुरूप, बुढ़ापे के कारण शिथिल सभी अंगों वाले, गंवार, दुष्कर्म करने वाले एवं गलित कोढ़ रोग से पीड़ित पुरूष को समर्पित कर देती है एवं जो विवेकरूपी कल्पलता को काटने वाली कुल्हाड़ी की भॉति है, उनसे कौन पुरूष अनुराग करेगा)

बुभुक्षितः किं न करोति पापम् *(भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है)*

वेश्यावृत्ति केवल भारतीय समाज में ही प्रचलित निन्दनीय प्रथा नहीं रही है अपितु संसार की अन्य सभ्यताओं और राष्ट्रों में यहॉ तक कि विकसित राष्ट्रों में भी यह बुराई पहले की तरह अभी भी प्रचलित और विद्यमान है। वेश्यावृत्ति जैसी बुराईयों को समाप्त किए बिना कोई भी समाज अपने को पूर्णतः सभ्य और विकसित समाज कहलाने का दावा नहीं कर सकता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वेश्यावृत्ति अथवा अनैतिक देहव्यापार के पेशे में लिप्त स्वयं कतिपय पेशेवर महिलाओं की ही भूमिका इस बुराई के उन्मूलन में बाधक रही है।

अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 **The Immoral Traffic (Prevention) Act,** 1956, ... वेश्यावृत्ति अथवा अनैतिक देहव्यापार जैसी बुराई का मूल कारण आर्थिक विपन्नता, आजीविका का संकट और अज्ञान रहा है। समाज में व्याप्त इसी नकारात्मक प्रवृत्ति को निवारित करने के आशय से भारत की संसद ने वर्ष 1956 में अनैतिक देहव्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 पारित किया है। इस कानून के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं, धनार्जन के लिए देह व्यापार करने वाली महिलाओं एवं वेश्यागृह के संचालन में लिप्त अथवा सहयोग करने वाले स्त्री अथवा पुरूषों को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नांकित प्रकार है.....

वेष्यागृह **(Brothel)** –– धारा 2 ––– अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 की धारा 2 ''वेष्यागृह'' को पारिभाषित करती है, जिसके अनुसार ''वेष्यागृह'' का तात्पर्य ऐसे भवन, कमरे, परिवहन के साधन, स्थान अथवा किसी गृह, कमरे, परिवहन के साधन अथवा स्थान के उस भाग से है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा अथवा दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति का यौन शोषण अथवा यौन दुरूपयोग लाभ के लिए किया जा रहा हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृष्णमूर्ति प्रति लोक अभियोजक, ए0आई0आर0 1967 एस.सी. 567 के मामले में शब्द ''वेष्यागृह'' की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भवन अथवा स्थान आदि का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा एक बार भी अनैतिक देह व्यापार अथवा यौन शोषण के आषय से किया गया हो तो उस स्थान को अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 की धारा 2(क) के अन्तर्गत ''वेष्यागृह' की ही कोटि में माना जावेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी आषय की विधि गौरव जैन प्रति भारत संघ, ए0आई0आर0 1997 एस.सी. 3021 के मामले में भी दी गयी है और स्पष्ट किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य के द्वारा यह तथ्य साबित कर पाने

में सफल रहा हो कि किसी आवासीय परिसर आदि में कोई महिला अनैतिक रूप से यौन संसर्ग के लिए अपना शरीर उपलब्ध करवाती है, तो इस प्रकार के आवासीय परिसर को ''वेष्यागृह'' माना जावेगा और ऐसी महिला को ''वेष्यावृत्ति'' के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।

वेष्यावृत्ति **(Prostitution)** – धारा 2(एफ) –– उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(एफ) शब्द ''वेष्यावृत्ति'' को पारिभाषित करती है, जिसके अनुसार ''वेष्यावृत्ति'' का तात्पर्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी व्यक्ति के यौन शोषण अथवा यौन दुरूपयोग **(sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes)** से है।

वेष्या **(Prostitute)** – शब्द वेष्या का अर्थ अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत पारिभाषित शब्द वेष्यावृत्ति के आलोक में निर्धारित किया जावेगा जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरव जैन प्रति भारत संघ, ए0आई0आर0 1997 एस.सी. 3021 के मामले में स्पष्ट किया गया है।

वेष्यागृह के संचालन के लिए दण्ड – धारा 3 ––– ऐसा व्यक्ति जो वेष्यागृह के प्रबन्धन अथवा प्रबन्धन में सहायता करने के कृत्य में लिप्त हो उसे दोषसिद्ध पाये जाने पर कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष के कारावास तथा 2,000 रूपए तक के अर्थदण्ड की शास्ति से दण्डित किया जावेगा और यदि ऐसा व्यक्ति द्वितीय बार अथवा बार–बार उपरोक्त आषय का अपराध कारित करता है तो उसे कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पॉच वर्ष के कारावास एवं रू0 2,000 तक के अर्थदण्ड की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

वेष्यावृत्ति से आजीविका चलाने के लिए दण्ड – धारा 4 ––– यदि 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जानबूझकर वेष्यावृत्ति से होने वाली आय से अपनी आजीविका चलाता हो तो उसे दो वर्ष के कारावास अथवा रू0 1,000 तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों ही दण्डों से दण्डित किया जा सकेगा।

बाल वेष्यावृत्ति से आजीविका चलाने के लिए दण्ड – धारा 4 ––– यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे अथवा अवयस्क से वेष्यावृत्ति करवाकर आय अर्जित करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम सात वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक के कारावास की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

<u>वेष्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने अथवा प्राप्त करने हेतु दण्ड – धारा 5</u> ––– यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति से अथवा सहमति के बिना भी वेष्यावृत्ति के प्रयोजन से प्राप्त करता है अथवा उसे वेष्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास तथा रू0 2,000 तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा और यदि किसी व्यक्ति से वेष्यावृत्ति का अपराध उसकी इच्छा के विरूद्ध करवाया गया हो तो उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 14 वर्ष के कारावास तक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

<u>अभिरक्षा में वेष्यावृत्ति के लिए दण्ड – धारा 9</u> ––– यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति से वेष्यावृत्ति का कृत्य करवाया जाता है तो उसे न्यूनतम सात वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकेगा।

<u>परिवीक्षा (**Probation**) – धारा 10</u> ––– इस धारा को अधिनियम में संषोधन के द्वारा दिनॉक 26–1–1987 से समाप्त किया जा चुका है। अत्एव स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए गए अभियुक्त को परिवीक्षा पर मुक्त नहीं किया जा सकता है।

<u>विवेचना – धारा 13 व 14</u> ––– अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराध की विवेचना पुलिस इन्सपेक्टर के नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है परन्तु यदि पुलिस इन्सपेक्टर इस बात से सन्तुष्ट हों कि सुलभ सब इन्सपेक्टर द्वारा विवेचना नहीं करवा ली जाती है तो विलम्ब आदि कारणों से अभियुक्त साक्ष्य नष्ट कर सकता है अथवा पलायन कर सकता है तो उस दषा में पुलिस इन्सपेक्टर अपने अधीन सब इन्सपेक्टर के माध्यम से भी विवेचना करवा सकता है।

<u>संज्ञेय अपराध – धारा 14</u> ––– अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समस्त अपराध संज्ञेय अपराध (**cognizable offences**) होंगे और पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से वारण्ट लिए बिना भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकेंगे।

महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस कान्टेबल की अनिवार्यता ——— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 46(4) के अनुसार, जैसा कि वर्ष 2006 में संषोधित किया गया है, किसी महिला अभियुक्त को सूर्यास्त के उपरान्त और सूर्योदय से पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जावेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य प्रति क्रिष्चियन कम्यूनिटी वेलफेयर काउन्सिल ऑफ इण्डिया, (2003) 8 एस0सी0सी0 546, के मामले में व्यवस्था दी गई है कि यदि महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं उपलब्ध हो और विवेचना में विलम्ब आदि के नकारात्मक प्रभावों को निवारित करने के लिए आवष्यक हो तो ऐसी परिस्थितियों में पुरूष पुलिस अधिकारी द्वारा भी महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा सकती है।

अपराधों का विचारण – धारा 22 ——— अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अन्तर्गत वर्णित अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से नीचे के मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण – धारा 22(बी) ——— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 262 लगायत 265 के अन्तर्गत दी गयी प्रकिया का अनुसरण करते हुए मजिस्ट्रेट उपरोक्त अधिनियम के अपराधों का विचारण संक्षिप्त प्रकिया के द्वारा भी कर सकता है बषर्ते कि ऐसा करने के लिए उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो।

संरक्षण गृह – धारा 18 ——— उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध से पीड़ित व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेन्स के बिना संचालित किसी संरक्षण गृह अथवा सुधार गृह में कोई व्यक्ति नहीं रख सकेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य प्रति कौषल्या, ए0आई0आर0 1964 एस.सी. 416 के मामले में तथा मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा लूसी डिसूजा, ए0आई0आर0 1990 बाम्बे 355–खण्डपीठ के मामले में स्पष्ट किया गया है कि अनैतिक देह व्यापार (निषेघ) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मुक्त कराई गई महिला को यदि मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण

गृह में रहने के लिए प्रेषित किया जाता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन नहीं होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 ए.एल.जे. 357 (एस.सी.) के मामले में पुलिस व प्रषासन को निर्देष दिया गया है कि यदि अलग–अलग जाति व धर्म से संबंधित वयस्क लड़के व लड़की विवाह कर लेते हैं तो उन्हें उनके परिजनों अथवा अन्य के द्वारा सम्भावित हिंसा एवं उत्पीड़न के विरूद्ध सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

निम्नांकित मामलों में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बार–बार इस आषय का निर्देष दिया गया है कि किसी वयस्क महिला/लड़की को उसकी इच्छा के विपरीत नारी निकेतन या संरक्षण गृह आदि में नहीं भेजा जा सकता है अपितु उसे उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। यहॉ तक कि अवयस्क को भी उसकी इच्छा के विपरीत नारी निकेतन अथवा अन्य संरक्षण गृह में नहीं भेजा जा सकता है सिवाय इसके जब उसकी अभिरक्षा के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो अथवा कि न्यायालय के अभिमत में ही यह आवष्यक हो कि उसे नारी निकेतन अथवा संरक्षण गृह में रखा जाना ही उसके हित में होगा३३ ।

1. सईद सादाब हसन प्रति उ0प्र0 राज्य, 2006 (55) ए0सी0सी0 424 (इलाहाबाद–खण्डपीठ)
2. श्रीमती शहाना उर्फ शान्ति प्रति उ0प्र0 राज्य, 2003 (46) ए0सी0सी0 600 (इलाहाबाद–खण्डपीठ)
3. तराचन्द सेठ प्रति अधीक्षक जिला जेल, रामपुर, 1983 (2) ए0सी0सी0 168 (इलाहाबाद–खण्डपीठ)
4. श्रीमती राज कुमारी प्रति अधीक्षकण वीमेन प्रोटेक्षन होम, मेरठ, 1997 (34) ए0सी0सी0 1 (इलाहाबाद–खण्डपीठ)
5. श्रीमती पार्वती देवी प्रति उ0प्र0 राज्य, 1982 (19) ए0सी0सी0 32 (इलाहाबाद–खण्डपीठ)
6. पुष्पा देवी उर्फ राजवन्ती देवी प्रति उ0प्र0 राज्य, (1995) 1 जे0आई0सी0 189 (इला.)
7. सेवक प्रति उ0प्र0 राज्य, 2003 (47) ए0सी0सी0 1047 (इलाहाबाद–लखनऊ खण्डपीठ)

वेष्याओं एवं उनके बच्चों के कल्याण व पुर्नवास के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देष –– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव जैन प्रति भारत

संघ, ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 3021 में लोकहित प्रकरण की सुनवाई करते हुए वेष्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों के समग्र कल्याण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को तथा सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों को कतिपय दिषा निर्देष जारी किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिषा निर्देषों के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों से अपेक्षा की गई है कि वे न केवल वेष्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास करें अपितु उनके पुर्नवास एवं आजीविका आदि की भी व्यवस्था करें। वेष्याओं के बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए भी आवष्यक व्यवस्था करने का निर्देष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है। वेष्यावृत्ति से मुक्त कराई गईं महिलाएं आजीविका के अभाव में पुनः वेष्यावृत्ति के पेषे में लिप्त नहीं हो जावें, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि केन्द्र व राज्य सरकारें वेष्याओं को पुर्नवास सहित उन्हें आजीविका के आर्थिक समाधान तथा उन्हें आवष्यकतानुसार विधिक सहायता सहित अन्य आवष्यक सहायता भी उपलब्ध करवावें।

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिषा निर्देष––– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषाखा एवं अन्य प्रति राजस्थान राज्य, ए0आई0आर0 1997 एस.सी. 3011 के प्रकरण में कार्य स्थल पर कार्यकारी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध भी कतिपय दिषा निर्देष निर्गत किए गए हैं। उक्त प्रकरण में विषाखा नामक महिला के साथ कार्यस्थल पर उसके पुरूष सहकर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से बलात्संग कारित किया गया था और उसकी षिकायत पर भी पुलिस अथवा प्रषासनिक अधिकारीगण द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी और तब प्रकरण संज्ञान में लाए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल 10 दिषा निर्देष केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्गत किए गए थे जिनका उद्देष्य कार्यस्थल पर कार्यकारी महिलाओं के यौन उत्पीड़ने के विरूद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। निर्गत दिषा निर्देषों के अनुसार प्रत्येक लोक कार्यालय में विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह अपने लोक कार्यालय में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने के आषय से एक परिवाद समिति (**complaints committee**) का गठन करें जिसकी कम से कम आधी सदस्य महिलाएं हों तथा परिवाद समिति की अध्यक्षा भी कोई महिला ही हो। परिवाद समिति को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी महिला कर्मचारी अथवा अधिकारी

से यौन उत्पीड़न सम्बन्धी प्राप्त होने वाली षिकायतों की सुनवाई करे और आवष्यक पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध समुचित विभागीय अथवा अन्य विधिक कार्यवाही करने के लिए निर्देष देवे।

<u>महिलाओं का अष्लील प्रदर्षन (निषेध) अधिनियम, 1986 (**The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 & The Indecent Representation of Women (Prohibition) Rules, 1987**)</u> ——— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292, 293, 294 के अन्तर्गत अष्लीलता से संबंधित अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में संसद ने महिलाओं का अष्लील प्रदर्षन (निषेध) अधिनियम, 1986 पारित किया है, जिसका उद्देष्य विज्ञापनों, प्रकाषनों, लेखों, चित्रकारी, रेखा चित्र अथवा उनसे संबंधित अन्य मामलों में महिलाओं के अष्लील प्रदर्षन को निषिद्ध कर दिया गया है और इसके अतिक्रमण को उक्त अधिनियम की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति को प्रथम अपराध के लिए दो वर्ष के कारावास और दो हजार रूपए तक के अर्थदण्ड की शास्ति से तथा द्वितीय अथवा बार—बार के अपराध के लिए कम से कम छः माह और अधिकतम पॉच वर्ष तक के कारावास व न्यूनतम 10,000 तथा अधिकतम 1,00,000 रूपए तक के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा कारित किए जाने वाले अपराधों को भी दण्डनीय बनाया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की <u>धारा 8</u> के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय (**cognizable and bailable**) होंगे।

<u>घरेलू नौकरानियों के यौन उत्पीड़न आदि के निवारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिषा निर्देष</u>—— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेल्ही डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम प्रति भारत संघ, (1995) 1 एस.सी.सी. 14 के लोकहित मामले में घरेलू नौकरानियों की दुर्दषा एवं यौन उत्पीड़न आदि के विरूद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करने, उन्हें आर्थिक, कानूनी, शैक्षिक, चिकित्सीय सहायता एवं उत्पीड़न आदि की दषा में प्रतिकर दिलाए जाने का निर्देष केन्द्र व राज्य सरकारों को दिया गया है।

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में समय—समय पर यौन उत्पीड़न आदि की षिकार रही महिलाओं आदि को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कानूनी एवं पुर्नवास

आदि से संबंधित सहायता एवं संरक्षण दिलाए जाने का निर्देष केन्द्र व राज्य सरकारों को तथा इन क्षेत्रों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों को भी दिया गया है। परन्तु एक परम्परागत एवं रूढ़िवादी समाज में केवल कानूनों अथवा न्यायिक निर्णयों के सहारे ही परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है अपितु समग्र समाज के जागृत होने और आवष्यक ज्ञान व षिक्षा के प्रसार के उपरान्त ही समाज में सदियों से व्याप्त वेष्यावृत्ति एवं मानव तस्करी आदि की बुराइयां समाप्त हो सकेंगी।

<u>विशाखा व ए0के0 चोपड़ा का केस</u> : In the case of **Apparel Export Promotion Council Vs. A.K. Chopra, AIR 1999 SC 625**, where male Private Secretary to the Chairman of the Apparel Export Promotion Council had tried to molest his women typist-cum-clerk physically and on enquiry his guilt was found proved, it has been held by the Hon'ble Supreme Court that the sexual harassment is a form of sex discrimination projected through unwelcome sexual advances, request for sexual favours and other verbal or physical conduct with sexual overtones, whether directly or by implication. Similarly in the case of **Vishaka Vs. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241,** a three-Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court has defined the words "sexual harassment" to include such unwelcome sexually determined behavior, whether directly or by implication as (a) physical contact and advances (b) a demand or request for sexual favours (c) sexually-coloured remarks (d) showing pornography (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

* * * * * * *